

तारीख
हुवम




हुवम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज



02.05.2018

राजस्व वाद संख्या 11/2015 कानाराम बनाम राजस्थान विद्युत प्रसारण
निगम अंतर्गत धारा 188 आर टी एक्ट

पत्रावली आज कैम्प कोर्ट तनावडा में पेश हुई वकुलाय फरीकेन
उपस्थित वादी अधिवक्ता वाद को नोट प्रेस करते है तथा वाद को आगे नहीं
चलाना चाहते है। अतः वाद वादी नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली
फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।


वैश्याक ~~कोर्ट~~ एवं उपसद वधिकारी
राजी (बोयपुर) राज.